

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

संख्या-03/बजट-01-10/2026/...../आ0प्र0

सेवा में,

महालेखाकार(ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना-23, दिनांक-

विषय:-वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2235-60-200-0008-गैर प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को अनुग्रह अनुदान में कुल रु० 8.00 लाख (आठ लाख रुपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:-स्वीकृत।

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्यशीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम, उपशीर्ष-0008-गैर प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को अनुग्रह अनुदान मद, मांग संख्या-39, विपत्र कोड-39-2235602000008 में विषय शीर्ष-37 01-अनुग्रह अनुदान के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
3. पूर्व/वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी निम्न प्रकार है : -

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	जिला	पूर्व आवंटित राशि (वित्तीय वर्ष 2026-27)	वर्तमान आवंटित राशि (वित्तीय वर्ष 2026-27)	आवंटन का योग (वित्तीय वर्ष 2026-27)
1	2	3	4	5
1	अरवल	0.00	8.00	8.00

4. उक्त आवंटन से जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक-302 दिनांक-17.08.2026 द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में विभागीय पत्रांक-3011/आ०प्र० दिनांक-01.09.2026 के माध्यम से दिये गए अनुमोदन तथा विभागीय संकल्प संख्या-2901/आ0प्र0 दिनांक-03.10.2008 के आलोक में गैर प्राकृतिक आपदा की घटना हेतु राशि का भुगतान किया जाएगा।
5. आवंटित की गई राशि की निकासी **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाएगी।
6. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक-2561वि० (2), दिनांक-17.4.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
7. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(मो० नदीमुल गफ्फार सिद्दीकी)
अपर सचिव

ज्ञापांक-03/बजट-01-10/2026/181/आ0प्र0, पटना-23 दिनांक-24-09-26

प्रतिलिपि-

1. वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कोषागार पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
7. आई0टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार को विभागीय Web Site पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री अमन कुमार, प्रोग्रामर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Le
अपर सचिव 23/9